

फा.सं.18011/20/2013-नमक
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
(नमक अनुभाग)

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 31 अक्टूबर, 2014

रिक्ति संबंधी परिपत्र

विषय:- औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) आधार पर स्थानांतरण के जरिए रिक्त पदों को भरना।

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत संबद्ध कार्यालय नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) आधार पर स्थानांतरण के जरिए निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव किया जाता है। पात्र और इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ये भारतीय नमक सेवा (आईएसएस) के ग्रेड-I और ग्रेड-II से संबंधित समूह 'क' राजपत्रित पद हैं। इस पद के लिए चयन यूपीएससी द्वारा किया जाएगा:-

क्र.सं.	पद का नाम	रिक्तियां	पे-बैंड
3.	नमक आयुक्त (भारतीय नमक सेवा, ग्रेड-I, समूह 'क' राजपत्रित)	01	पीबी-4; 37,400-67,000/- रुपए + ग्रेड पे 8,900/- रुपए
4.	नमक उपायुक्त (भारतीय नमक सेवा, ग्रेड-II, समूह 'क' राजपत्रित)	02	पीबी-3; 15,600-39,100/- रुपए + ग्रेड पे 7,600/- रुपए

2. **अनुबंध** में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने वाले केंद्र अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ शासित प्रशासनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक/स्वायत्त निकायों के तहत कार्यरत अधिकारी।

3. वेतनमान, पात्रता शर्तें, अर्हताएं और अनुभव तथा इस पद से संबद्ध कार्य अनुबंध में संलग्न हैं।

4. केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारों के मंत्रालयों या विभागों अथवा संघ शासित प्रशासनों से अनुरोध है कि उनके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठनों में कार्यरत अधिकारियों सहित उनके नियंत्रण में आने वाले उपयुक्त स्तर के अधिकारियों के बीच इस रिक्ति का व्यापक प्रचार करें।

5. पात्रता शर्तें पूरी करने वाले तथा चयन की सूचना मिलने के एक महीने के भीतर कार्यग्रहण करने के लिए छोड़े जा सकने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेजों सहित अभ्यर्थी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित और कार्यालय प्रमुख अथवा हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन (दो प्रतियों में) उपयुक्त एवं संगत प्रोफार्मा में, जैसा कि अनुबंध में है, भेज दिए जाएं:-

- i. संबंधित अभ्यर्थी की अद्यतन गोपनीयता रिपोर्ट फाइल अथवा अभ्यर्थी की पिछले पांच वर्षों की वार्षिक गोपनीयता रिपोर्टों की प्रतिलिपियां, जो भारत सरकार में अवर सचिव या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित हों;
- ii. भारत सरकार में उप सचिव या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र (निर्धारित प्रोफार्मा में);
- iii. सतर्कता संबंधी मंजूरी (निर्धारित प्रोफार्मा में) जिसमें यह उल्लेख हो कि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध न ही कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा आपराधिक कार्यवाही लंबित है और न ही इस पर विचार किया जा रहा है (सतर्कता की दृष्टि से स्वीकृत अभ्यर्थियों के आवेदन ही भेजे जाएं); और
- iv. पिछले 10 वर्षों के दौरान अभ्यर्थी पर लगाई गई बड़ी/छोटी शास्तियों की सूची, यदि कोई हो, अथवा गैर-शास्ति प्रमाण-पत्र (निर्धारित प्रोफार्मा में), जैसा भी मामला हो।

6. यह रिक्ति एम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में भी प्रकाशित की गई है। इस विज्ञापन के एम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में प्रकाशन की तारीख से 60 दिन की अवधि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।

7. यह भी ध्यान में रखा जाए कि डीओपीटी के का.जा.सं. एबी-140117/89/2007-एस्टै. (आरआर) दिनांक 2 जनवरी, 2008 के अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन के विचारार्थ आवेदन करता है तथा उस पर एसीसी द्वारा विचार किया जाता है और उसे चुना जाता है, तो सामान्य रूप से, वह इस नियुक्ति से मना नहीं कर सकता/सकती और यदि वह

मना करता है/ करती है, तो भविष्य में उस पर अपने संवर्ग के बाहर किसी नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

8. अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन सभी तरह से पूर्ण हो तथा निर्धारित प्रारूप में हो। इस प्रारूप का कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। जहां भी जानकारी लागू न हो या शून्य हो, वहां इसका उल्लेख किया जाए। उचित माध्यम द्वारा निर्धारित अंतिम तारीख को या उससे पहले प्राप्त ऊपर पैरा 5 में उल्लिखित सभी दस्तावेजों सहित पूर्ण रूप से भरे आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। अंतिम तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों अथवा निर्धारित प्रारूप में न होने वाले आवेदनों अथवा अपूर्ण आवेदनों अथवा अग्रिम आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(एस.एन.मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23061306

सेवा में,

केंद्र सरकार के सभी विभाग/ राज्य सरकारें/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ सांविधिक/ स्वायत्त संगठन

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:

1. मंत्री (वाणिज्य एवं उद्योग) के निजी सचिव
2. राज्य मंत्री (वाणिज्य एवं उद्योग) के निजी सचिव
3. सचिव (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग) के निजी सचिव
4. संयुक्त सचिव (एसएस), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
5. नोटिस बोर्ड/ गार्ड फाइल

(एस.एन.मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

अनुबंध

नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पकालीन संविदा सहित) आधार पर भरे जाने वाले रिक्त पदों के लिए पात्रता संबंधी शर्तों का ब्यौरा:-

1. वेतनमान:-

I. नमक आयुक्त:

5100-150-5700/- रुपए का पूर्व-संशोधित वेतनमान [अब पीबी 4; 37,400-67,000/- + ग्रेड पे 8,900/- में संशोधित]

II. नमक उपायुक्त:

3700-5000/- रुपए का पूर्व-संशोधित वेतनमान [अब पीबी 3; 15,600- 39,100/- + ग्रेड पे 7,600/- में संशोधित]

2. इन पदों से संबद्ध कार्य:

I. नमक आयुक्त:

- (i) नमक आयुक्त के कार्यालय से संबंधित सभी प्रशासनिक मामले।
- (ii) नमक से संबंधित सभी नीतिगत निर्णय लेने में भारत सरकार की सहायता करना।
- (iii) देशभर में नमक के विनिर्माण, आपूर्ति और वितरण, देश में नमक उद्योग की वृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी।
- (iv) नमक उपकर अधिनियम, 1951 तथा इसके तहत बने नियमों का प्रशासन सुनिश्चित करना।
- (v) देशभर में नमक/आयोडीनयुक्त नमक का पर्याप्त उत्पादन और पर्याप्त वितरण सुनिश्चित करना।
- (vi) अतिरिक्त नमक की उपलब्धता का मूल्यांकन करना तथा ओजीएल के तहत अन्य देशों को नमक के निर्यात को प्रोत्साहित करना।
- (vii) नमक संगठन के पास उपलब्ध केंद्र सरकार की भूमि को नमक के विनिर्माण के लिए पट्टे पर देना।
- (viii) नमक उद्योग और नमक के कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के हित में विकास और श्रमिक कल्याण कार्यों की योजना बनाना व उन्हें लागू करना तथा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित नमक के कारखानों के लिए सहायता का प्रबंध करना।

- (ix) भारत सरकार की विभिन्न योजना के तहत विभिन्न कार्य करने के लिए संगठन के प्रमुख के रूप में अन्य केंद्र सरकारी संगठनों, राज्य सरकारों, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों जैसे यूनीसेफ, डब्ल्यूएचओ, एमआईसी, आईसीसीआईडीडी के प्रमुखों और अन्य अधिकारियों के साथ बैठकें करना।

II. नमक उपायुक्त:

- (i) नमक आयुक्त संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय से संबंधित सभी प्रशासनिक मामले।
- (ii) तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों से जुड़े कार्य करना।
- (iii) देशभर में नमक के विनिर्माण, आपूर्ति और वितरण, देश में नमक उद्योग की वृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी।
- (iv) नमक उपकर अधिनियम, 1951 तथा इसके तहत बने नियमों का प्रशासन सुनिश्चित करना।
- (v) देशभर में नमक/आयोडीनयुक्त नमक का पर्याप्त उत्पादन और पर्याप्त वितरण सुनिश्चित करना।
- (vi) अतिरिक्त नमक की उपलब्धता का मूल्यांकन करना तथा ओजीएल के तहत अन्य देशों को नमक के निर्यात को प्रोत्साहित करना।
- (vii) नमक संगठन के पास उपलब्ध केंद्र सरकार की भूमि को नमक के विनिर्माण के लिए पट्टे पर देना।
- (viii) नमक उद्योग और नमक के कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के हित में विकास और श्रमिक कल्याण कार्यों की योजना बनाना व उन्हें लागू करना तथा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित नमक के कारखानों के लिए सहायता का प्रबंध करना।
- (ix) नमक का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख के रूप में अन्य केंद्र सरकारी संगठनों, राज्य सरकारों, रेलवे आदि के प्रमुख व अन्य अधिकारियों के साथ बैठकें करके संपर्क स्थापित करना।

3. पात्रता निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण तिथि:

पात्रता का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

4. पात्रता:

I. नमक आयुक्त:

केन्द्रीय/राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक/स्वायत्त संगठनों के अधिकारी-

(क) (i) नियमित आधार पर सादृश पद धारक, अथवा

(ii) जिन्होंने 4500-150-5700 रूपए (पूर्व संशोधित) (अब संशोधन के बाद पे बैंड-4; 8700 रूपए की ग्रेड पे सहित 37,400-67,000 रूपए) के वेतनमान अथवा समकक्ष पदों में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो; या

(iii) 3700-5000 रूपए (पूर्व संशोधित) (संशोधन के बाद पे बैंड-3; 7600 रूपए की ग्रेड पे सहित 15,600-39,100 रूपए) के वेतनमान अथवा समकक्ष पदों में 7 वर्ष की नियमित सेवा की हो; या

(ख) नीचे मद सं. 5 में दर्शाए गए अनुसार निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखता हो;

अनिवार्य:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान या समकक्ष से रासायनिक इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में डिग्री. और

(ii) रसायन उद्योग (नमक उद्योग सहित) में 10 वर्ष का अनुभव

वांछनीय:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से रसायन विज्ञान में पीएचडी डिग्री या शैक्षिक योग्यता

(ii) के अनुरूप रसायन इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री (अनुबंध-II)

II. नमक उपायुक्त [भारतीय नमक सेवा का ग्रेड-II, समूह 'क' राजपत्रित]:

केन्द्रीय/राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक/स्वायत्त संगठनों के अधिकारी-

(क) (i) नियमित आधार पर सादृश पद धारक, अथवा

(ii) 3000-5000 रूपए (पूर्व संशोधित) (अब संशोधन के बाद पे बैंड-3; 6600 रूपए की ग्रेड पे सहित 15,600-39,100 रूपए) के वेतनमान अथवा समकक्ष पदों में 2 वर्ष की नियमित सेवा की हो; या

(ख) निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखता हो;

अनिवार्य:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान या समकक्ष से रसायन इंजीनियरिंग /प्रौद्योगिकी में डिग्री और

(ii) रसायन उद्योग (नमक उद्योग सहित) में 8 वर्ष का अनुभव

वांछनीय:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से रसायन विज्ञान में पीएचडी डिग्री या शैक्षिक योग्यता

(ii) के अनुरूप रसायन इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री (अनुबंध-II)

5. पदों के लिए योग्यता एवं अनुभव [अंतिम तिथि को निर्धारित किए जाने हैं]

अनिवार्य:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान या समकक्ष से रसायन इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में डिग्री और

(ii) नमक आयुक्त के पद के लिए रसायन उद्योग (नमक उद्योग सहित) में 10 वर्ष का अनुभव और उप नमक आयुक्त के पद के लिए रसायन उद्योग (नमक उद्योग सहित) में 8 वर्ष का अनुभव।

वांछनीय:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से रसायन विज्ञान में पीएचडी डिग्री या शैक्षिक योग्यता

(ii) के अनुरूप रसायन इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री (अनुबंध)

6. आयु सीमा: (आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अनुसार)

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) के लिए आयु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

7. प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध की अवधि:

केन्द्र सरकार के उसी या अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से पूर्व धारित अन्य बाह्य-सवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध की अवधि चार साल से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति की निबंधन और शर्तों को भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर यथा संशोधित का.जा. 6/8/2009-स्था. (पी.II), दिनांक 17 जून, 2010 में निहित आदेशों के अनुसार नियमित किया जाएगा और अनुबंध पर आने वाले अधिकारियों के मामले में शर्तों को संबंधित अधिकारी के साथ विचार-विमर्श करके तय किया जाएगा।

8. सामान्य शर्तें:

- क. केंद्र/राज्य सरकार के विभागों/केंद्र शासित प्रशासनों (उनके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों सहित)/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक/स्वायत्त संगठनों में कार्यरत आवेदक उचित माध्यम से उपयुक्त प्रपत्र में आवेदन करें।
- ख. यह भी ध्यान में रखा जाए कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2 जनवरी, 2008 के का.जा.सं. 14017/89/2007-स्था. (आरआर) के अनुसार एक बार आवेदक विचार किए जानेके लिए आवेदन करता है और उस पर विचार किया जाता है तथा एसीसी द्वारा चयन किया जाता है, तो साधारणतया वह नियुक्ति के लिए मना नहीं करेगा/करेगी और यदि वह नियुक्ति के लिए मना करता है/करती है, तो उस पर उसके संवर्ग के बाहर किसी अन्य नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- ग. आवेदक को जब कभी भी आवश्यकता होगी उसके आवेदन में दिए गए ब्यौरे के लिए प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- घ. सरकारी सेवा में कार्यरत बाहरी आवेदक को यदि साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है तो वह अपने संबंधित कार्यालय से नियमानुसार टीए/डीए ले सकता है।
- ड. केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं।
- च. किसी भी प्रकार का पक्षप्रचार किया जाना, अयोग्यता माना जाएगा।
- छ. कॉलम 4 में दर्शाई गई निर्धारित अनिवार्य योग्यता न्यूनतम है और मात्र इसको धारण करने वाले आवेदक को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना आवश्यक नहीं है।

ज. पूर्ण रूप से तथा निर्धारित प्रपत्र अर्थात् परिशिष्ट में भरे हुए आवेदन एम्प्लोयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशित होने के 60 दिनों के भीतर **अवर सचिव (नमक), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, कमरा सं. 374, उद्योग भवन, नई दिल्ली-11011** के पास पहुंच जाने चाहिए। निर्धारित अंतिम तारीख को अथवा उससे पहले उचित माध्यम से प्राप्त पूर्ण आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। आवेदन एक लिफाफे में भेजे जाने चाहिए जिस पर 'नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर में नमक आयुक्त के पद के लिए आवेदन लिखा हो'।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अधीन सम्बद्ध नमक आयुक्त कार्यालय जयपुर में प्रतिनियुक्ति आधार पर (अल्पावधि संविदा सहित) रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र

पदनाम जिसके लिए आवेदन किया गया है

1. नाम
2. जन्म तिथि
3. अधिकारी के लिए लागू सेवा नियमों के तहत सेवा निवृत्ति की तिथि
4. (क) यदि वह संगठित सेवा से संबंधित है तो उसका नाम आवंटन वर्ष और संवर्ग
(ख) संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण का नाम
5. शैक्षणिक अर्हताएं:

निर्धारित अर्हताएं

अधिकारी द्वारा धारित अर्हताएं [केवल वही अर्हताएं दर्शाये जाने की आवश्यकता है, जो निर्धारित अर्हताओं से समान या उनसे अधिक हों]

अनिवार्य: (i)

(ii)

(iii)

वांछनीय: (i)

(ii)

(iii)

टिप्पण: यदि अधिकारी द्वारा धारित अर्हताएं निर्धारित अर्हता के समान नहीं हैं या उससे अधिक हैं और निर्धारित अर्हता के बराबर मानी जाती हैं तो कृपया उसके प्राधिकरण का उल्लेख करें ।

6. यदि अधिकारी ने कोई प्रशिक्षण पाया है जो आवेदित पद के संबंधित है तो उसका उल्लेख करें:

7. (i) वर्तमान में धारित पद
(ii) पूर्ण वेतनमान
(iii) वर्तमान वेतन और इसे किस तिथि से आहरित कर रहे हैं:
(iv) विशेष वेतन यदि कोई हो

टिप्पण: यदि अधिकारी कोई विशेष वेतन आहरित करता हो तो निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी भी दें:

- (क) क्या विशेष वेतन वाली नियुक्ति सावधिक नियुक्ति है: और
(ख) क्या विशेष वेतन को पद के लिए अलग वेतनमान के एवज में वेतनमान के अतिरिक्त पद के लिए विशेष रूप से स्वीकृत किया गया है
(v) क्या धारित पद नियमित/तदर्थ आधार पर या प्रतिनियुक्ति आधार पर है।
(vi) जिस तारीख से धारित है ।
(vii) यदि वर्तमान पद नियमित आधार पर धारित है, लेकिन शुरू में तदर्थ आधार पर था तो इस पद को नियमित आधार पर धारण की तारीख ।

8. यदि वर्तमान पद नियमित आधार पर नहीं है तो :

- (क) नियमित आधार पर धारित पद
(ख) इसका वेतनमान
(ग) जिस तारीख से नियमित आधार पर पद धारण किया गया ।

9. पद, यदि कोई हो, जिसे अधिकारी स्थायी रूप से धारित किए हुए हो ।

10. I. यदि वर्तमान पद समरूप पद हो :-

- (क) क्या वर्तमान पद डीपीएंडएआर के दिनांक 07.03.1984 के का.जा. सं 19017/37/75-स्था.(डी)(पार्ट) के सन्दर्भ में समरूप पद है ।
(ख) पद से जुड़े कर्तव्य

11. सेवा का विवरण

- (i) पदनाम
(ii) नियोक्ता
(iii) अवधि : से तक
(iv) वेतनमान :

(v) कर्तव्यों का स्वरूप :

12. चयन के अपेक्षित क्षेत्र में अनुभव ।
13. पिन कोड नम्बर और टेलीफोन नम्बर सहित वर्तमान डाक पता :
14. क्या अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं ।
15. अन्य सम्बद्ध सूचना

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक:

अग्रेषण कार्यालय द्वारा कार्यालय प्रयोग हेतु

सं. ...

दिनांक:

इस कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड से उपर्युक्त प्रविष्टियां सत्यापित की गईं और सही पायी गयी हैं ।

हस्ताक्षर:

नाम:

कार्यालय मुहर:

प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन के साथ पृथक से संलग्न किये जाने के लिए अपेक्षित विभिन्न प्रमाण-पत्रों का प्रपत्र

सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र

नमक आयुक्त कार्यालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर नमक आयुक्त/नमक उपायुक्त पद के लिए आवेदन करने वाले डॉ./श्री/श्रीमती/सुश्री..... के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों की जांच करने के बाद यह प्रमाणित किया जाता है कि उनकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे है ।

(उप सचिव या इससे ऊपर की रैंक के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं)

नाम और कार्यालय की मुहर :

दिनांक :

सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि नमक आयुक्त कार्यालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर नमक आयुक्त पद के लिए आवेदन करने वाले डॉ./श्री/श्रीमती/सुश्री..... के विरुद्ध कोई सतर्कता मामला या अनुशासनिक कार्यवाही या आपराधिक कार्यवाही न तो लंबित है और न ही उस पर विचार है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

नाम और कार्यालय की मुहर :

दिनांक :

गैर शास्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि नमक आयुक्त कार्यालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर नमक आयुक्त पद के लिए आवेदन करने वाले डॉ./श्री/श्रीमती/सुश्री..... पर विगत दस वर्षों में कोई छोटी/बड़ी शास्ति नहीं लगाई गई है ।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

नाम और कार्यालय की मुहर:

दिनांक:

* * * * *